न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :बरेली , जनपद :बरेली , तहसील :फरीदपुर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202012130302960
वाद संख्या:- 02960/2020
श्रीमती मनीषा महरोत्रा बनाम सन्तोष कुमारी आदि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 35(1)(ग)
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/11/2020

न्यायालय तहसीलदार फरीदपुर, बरेली।
वाद संख्या टी0 202012130302960 धारा 35 (1)(ग) रा0 सं0 2006
श्रीमती डा0 मनीषा मेहरोत्रा बनाम श्रीमती सन्तोष कुमारी आदि
ग्राम जेड परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

निर्णय

प्रस्तुत वाद उप निबन्धक फरीदपुर से प्राप्त बैनामा के आधार पर दर्ज रजिस्टर कर इश्तहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। किसी प्रकार की आपत्ति नही आयी। वादी द्वारा साक्ष्य में बैनामा दिनांक 09.10.2020, शपथपत्र, नकल खतौनी दाखिल की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य लेखपाल के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। क्रय की गई भूमि ग्राम समाज पटटे की नही है। भूमि बन्धक नही है। क्रेता के पास 12.5 एकड से कम भूमि है। भूमि पर क्रेता का कब्जा है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्न नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम जेड परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं0 368 गाटा सं0 205 रकबा 0.994 लगान 60ख अनुसार के सम्पूर्ण भाग से विक्रेता श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 राधेश्याम अग्रवाल व प्रदीप कुमार अग्रवाल व मनोज कुमार अग्रवाल पुत्रगण स्व0 राधेश्याम अग्रवाल निवासीगण 75 अशोक कालोनी सुनगढी पीलीभीत व अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेश्याम अग्रवाल निवासी 35ए रामपुर बाग बरेली का नाम खारिज करके क्रेता ट्रिनिटी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेविल ट्रस्ट रजिस्टर्ड आफिस दीपमाला अस्पताल निकट बी0एस0एन0एल0 टेलीफोन एक्सचेंज चैपुला रोड बरेली द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती डा0 मनीषा मेहरोत्रा पुत्री श्री जितेन्द्र नाथ सेठ निवासी 35टी0/3बी रामपुर बाग बरेली का नाम द्वारा बैनामा दिनांक 09.10.2020 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक 27.11.2020 तहसीलदार,
फरीदपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"